नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ
(ई–गवर्नेन्स कोषांग)
निविदा आमंत्रण हेतु आम सूचना

ई–गवर्नेन्स के अन्तर्गत नालन्दा जिला में कार्यान्वित ई–डिस्ट्रिक्ट पाइलट प्रोजेक्ट के तहत् जिला के विभिन्न ई–डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों (CFC) से दिये जाने वाले विभिन्न प्रमाण पत्रों हेतु Cartridge की आपूर्त्ति हेतु इच्छुक प्रतिष्ठान/व्यक्ति से दिनांक 20/01/2014 को अपराह्न 3:00 बजे तक ई–गवर्नेन्स कोषांग, नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ में हाथों हाथ या निबंधित डाक से दो लिफाफा पद्धति में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा उसी दिन अपराह्न 4:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी। निविदादाता स्वयं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोले जाने के समय उपस्थित रह सकते है।

निविदा की शर्त्त निम्नवत् होगी :–

1. तकनीकी निविदा में निबंधन प्रमाण पत्र/वार्षिक टर्न ओभर/आयकर/वाणिज्य कर स्वच्छता प्रमाण पत्र निविदादाता को संलग्न करना होगा। साथ–साथ मो0 5000/– रू0 का बैंक ड्राफ्ट, जिला पदाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ के पक्ष में संलग्न करना होगा।
2. प्रिन्टर का मॉडल **HP Laser Jet P2055d** है। तदनुसार वित्तीय निविदा में इसी मानक के कार्टिज के अधार पर दर (सभी कर सहित) दिया जायेगा।
3. निविदा में सफल आपूर्त्तिकर्त्ता को एक एकरारनामा करना होगा और एकरारनामा होने के दस दिन के अन्दर कार्टिज की आपूर्त्ति सुनिश्चित करनी होगी।
4. जिला स्तर पर न्यूनतम दर का पैनेल बनाया जाएगा।
5. अनुबंध एक वर्ष के लिए मान्य होगा। कालान्तर में आवश्यकता एवं सेवा संतुष्टि के आधार पर इसे विस्तारित करने का निर्णय लिया जाएगा।
6. निविदाधारी द्वारा आपूर्त्ति की गई Toner Cartridge की गुणवत्ता में सेवा अवधि के दौरान किसी तरह की कमी पाई जाती है, तो उनका निविदा रद्द कर दिया जायेगा।
7. निविदाधारी द्वारा किसी भी स्थिति में आपूर्त्ति का कार्य किसी और प्रतिष्ठान/व्यक्ति को नहीं दिया जायेगा।
8. निविदाधारी कार्टिज की आपूर्त्ति सीलबद्ध डब्बा में करेंगे।
9. यदि निविदाधारी द्वारा निर्धारित समय में कार्टिज की आपूर्त्ति नहीं की जाती है तो उनकी जमा राशि को जब्त कर ली जायेगी एवं साथ ही उनके विरूद्ध आवष्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
10. आपूर्त्ति सेवा संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में जिला पदाधिकारी को बिना कारण बताये अनुबंध रद्द करने का अधिकार होगा।
11. चयनित निविदाकर्त्ता को कार्टिज को कार्यस्थल/समाहरणालय तक स्वयं के वाहन के द्वारा भेजना होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त परिवहन शुल्क देय नहीं होगा।
12. निविदादाता या उसके प्रतिष्ठान का नाम बिहार सरकार या भारत सरकार के किसी भी विभाग/कार्यालय की काली सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए, निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा।

पी.आर.नं. 12248 (जिला) 13–14

जिला पदाधिकारी, नालन्दा।

भ्रष्टाचारी के दबाव में मत रहें, निगरानी विभाग से मिलकर कहें